

PMFBY Claim Filing Guide

AgriTech & FoodTech

दस्तावेज़ प्रकार : पत्र / नोटिस • तैयार किया गया 27 Aug 2026

यह गाइड बताती है कि यह टूल क्या बनाता है, उसका उपयोग कैसे करें, और किन बातों का ध्यान रखें। टूल का वास्तविक आउटपुट (ड्राफ्ट/रिपोर्ट) टूल पेज पर बनता है।

पृष्ठभूमि

फसल-हानि पर पीएमएफबीवाई (PMFBY) दावा समय पर और साक्ष्य-सहित दाखिल करना ज़रूरी है।

इस टूल और आउटपुट का उद्देश्य

यह टूल पीएमएफबीवाई दावा-फाइलिंग में मार्गदर्शन देता है।

आउटपुट का उपयोग कैसे करें

फसल-हानि दावा सही और समय पर दाखिल करने हेतु उपयोग करें।

यह किसे दिया जाता है

पीएमएफबीवाई के तहत सूचीबद्ध बीमा कंपनी (बैंक/सीएससी और राज्य कृषि विभाग के माध्यम से)।

कैसे जमा करें / दाखिल करें

72 घंटे के भीतर फसल-बीमा ऐप/पोर्टल या बैंक से हानि की सूचना दें, फिर आकलन हेतु हानि-दस्तावेज़ जमा करें।

इसकी जाँच किससे कराएँ

बैंक/सीएससी (CSC) अधिकारी या कृषि-बीमा सलाहकार — सूचना और दस्तावेज़ हेतु।

महत्वपूर्ण सावधानियाँ

72-घंटे की सूचना-समय-सीमा चूकना दावा जोखिम में डालता है।

साथ के दस्तावेज़

- PMFBY Crop Insurance Guidance
- Loss-Assessment Documentation
- PMFBY Eligibility Checker

यह एआई-सहायित मार्गदर्शन है। किसी भी बाध्यकारी निर्णय से पहले योग्य पेशेवर से पुष्टि करें। शुल्क, प्राधिकरण और प्रक्रियाएँ राज्य और समय के अनुसार बदलती हैं — अपने राज्य के प्राधिकरण से सत्यापित करें।